संख्या-10-2024-डीएफए- 928489-38-7099-2885-2019

प्रेषक,

अमनदीप डुली,

विशेष सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी/ जिला कार्यक्रम समन्वयक,

उत्तर प्रदेश।

ग्राम्य विकास अनुभाग-6 लखनऊः दिनांकः 29-11-2024

विषयः- **मनरेगा योजनान्तर्गत चारागाह विकास कार्य कराये जाने के संबंध में।**

महोदय,

अवगत हैं कि पशुधन उत्पादकता बढ़ाने के लिए पर्याप्त मात्रा में चारा की उपलब्धता आवश्यक है। चारे की उपलब्धता बढ़ाने के लिए किसी योग्य भूमि, चारागाह की भूमि/सामुदायिक भूमि विक्रति एवं बंजर भूमि पर चारागाह का विकास कर पशुधन हेतु चारा उपलब्ध कराया जा सकता है।

2- उल्लेखनीय है कि भारत सरकार के मास्टर सर्कुलर 2024-25 के प्रस्तर-7.6.11 के अनुसार चारागाह विकास कार्य मनरेगा में अनुमन्य है, जिसमें निम्न प्रावधान किया गया है-

7.6.11 Development of pasture lands / fodder farm :

http://shasanadesh.up.gov.in

For development of pasture lands/ fodder farm under Mahatma Gandhi NREGA and for drought proofing, plantation of fodder trees or horticulture plants or a mix and perennial grasses like Anjan (Cenchrusciliaris), Foxtail grass (Chlorisgayana), Napier (Pennisetum purpureum) or any appropriate legumes like Stylo etc. approved by the concerned department of the State can be taken up. This should be done in consultation with the concerned technical departments. This activity shall be taken up only once in a particular land in consultation with the concerned technical Departments.

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया भारत सरकार के उक्त निर्देशों के क्रम में अपने जनपदों में अधिक से अधिक चारागाह का विकास कराने का कष्ट करें, ताकि पशुधन हेतु समुचित चारा उपलब्ध कराया जा सके।

भवदीय,

अमनदीप डुली
विशेष सचिव।

संख्या-10-2024-डीएफए- 928489-38-7099-2885-2019-

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, पशुधन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
3. निदेशक, पशुपालन विभाग, उ0प्र0।
4. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त उपायुक्त(श्रम रोजगार), उ0प्र0।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

अमनदीप डुली
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in